



नई दिल्ली। दल्लि नरिवाचन आयोग के अनुसार शहर में आदर्श आचार संहति के क्धति उल्लंघन के मामलों में अनेक राजनीतिक दलों के खिलाफ 219 प्राथमिकि दर्ज की गई है और अधिकतम मामले आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार 4 अक्टूबर को चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहति प्रभाव में आने के बाद से 219 प्राथमिकि दर्ज की गयी हैं।

सबसे ज्यादा 79 प्राथमिकि आप के खिलाफ हैं। इसके बाद 56 मामले भाजपा के खिलाफ, 53 मामले कांग्रेस के खिलाफ, 21 मामले बसपा के खिलाफ और 26 मामले अन्य राजनीतिक दलों के वरिद्ध हैं।

मामले दल्लि संपत्ति वरिपण रोक्धाम अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की अनेक धाराओं के तहत दर्ज की गी हैं।

मुख्य नोडल अधिकिरी (आदर्श आचार संहति) अंकु ग र्ग ने कहा, “उल्लंघन के सभी मामले प्राथमिकि में तब्दील नहीं होते और उल्लंघन के अनुरूप करवाई की जाती है।”

प्राथमिकियों के अलावा उल्लंघन के करीब 200 मामले भी दर्ज की गी हैं।

(भाषा)